

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या-11/2025

1. रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

.अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित:- श्री भरतसिंह बैनिवाल अधिवक्ता अपीलांत।

निर्णय

दिनांक:- 13/5/2026



अपीलांत रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर द्वारा तहसीलदार रावतसर के प्रकरण संख्या 15/2024 स्टेट बनाम रामस्वरूप में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2025 को अपास्त करवाने बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलान्त को दफा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत एक नोटिस दिया कि पटवारी हल्का निरवाल द्वारा रिपोर्ट मय पी 14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हल्का निरबान चक 3-4 एनडब्ल्यूएम के प0 नं0 16/40 (82) किला न. 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 की कुल 3.492 है0 आराजीराज अनकमाण्ड भूमि पर गैरसायल ने सं0 2081 फसल रबी गेहूं/ सरसो की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उपरान्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत नोटिस जारी किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं जमाबंदी के अनुसार प्रश्नगत भूमि हल्का निरबान चक 3-4 एनडब्ल्यूएम के प0 नं0 16/40 (82) किला न. 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 की कुल 3.492 है0 अराजी कमाण्ड भूमि है जिस पर अप्रार्थी ने नाजायज रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अप्रार्थी को नोटिस दिया गया, अप्रार्थी से विधिवत नोटिस तामिल होने के पश्चात भी स्वयं या अपने प्लीडिंग्स के माध्यम से जवाब देने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 11/2025 अनवान रामस्वरूप बनाम स्टेट

अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर की गई काश्त का कोई विधिक अधिकार एवं आधार नहीं है। अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाकर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्त/अप्रार्थी ने हाजिर अदालत आकर जवाब पेश किया कि उक्त भूमि आराजीराज भूमि ना होकर अपीलान्त की कृषि भूमि है अपीलान्त के पिता स्वर्गीय रामप्रताप द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 29.07.1963 के द्वारा सुरजाराम पुत्र हुणताराम जाति जाट साकिन निरवाल से भूमि खरीद की थी। उक्त भूमि खातेदारी भूमि है साथ ही दस्तावेज भी संलग्न किये थे, इसलिए अपीलान्त के खिलाफ की गई कार्यवाही ड्रॉप की जावे लेकिन तहसीलदार (राजस्व) रावतसर ने अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज को निर्णित पत्रावली में शामिल नहीं किया गया ना ही निर्णय में जवाब शामिल किया गया तथा विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

2. अपीलान्त के पिता स्वर्गीय रामप्रताप द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 29.07.1963 के द्वारा सुरजाराम पुत्र हुणताराम जाति जाट साकिन निरवाल से रोही निरवाल की कृषि भूमि खरीद की थी उक्त भूमि पूर्व में सुरजाराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी उसके पश्चात भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण, बैयनामा दिनांक 29.07.1963 को उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मानकर भूमि को अराजीराज दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि बाबत पूर्व में राज्य सरकार का स्थगन आदेश था व राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश पारित करने के पश्चात अपीलान्त के द्वारा धारा 13-ए उपनिवेशन अधिनियम के द्वारा शुल्क जमा करवा दिया। रकम जमा चालान संख्या 173 दिनांक 14.12.1992 फीस अन्तर्गत धारा 13-ए उपनिवेशन अधिनियम ADM हनुमानगढ़ के नाम दर्ज करवाया गया। उक्त बैयनामा बिना स्वीकृति के होने के आधार पर भूमि को आराजीराज दर्ज कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में उक्त अपील में वर्णित भूमि के अतिरिक्त अन्य विक्रय की गई भूमियों के सम्बन्ध में उपनिवेशन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 4/27/राज/उप./84 दिनांक 11.02.1992 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था, जो पत्र क्रमांक एफ 4/27/राज/उप/84 जयपुर दिनांक 16.10.2004 के द्वारा निरस्त कर दिया गया व भी प्रकरणों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया है। अपीलान्त द्वारा चालान की प्रति 173 दिनांक 14.12.1992 प्रकरण संख्या 1869/92 अन्तर्गत धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम में अपीलान्त द्वारा बैयनामा दिनांक 29.07.1963 को नियमन करवाने हेतु 12,600/-रूपये नियमन



शुल्क की राशि एक मुश्त जमा करवाना साबित है। उक्त चालान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है। परन्तु अभी तक धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियमन आदेश पारित नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचना से यह तथ्य साबित है कि दोनो अपीलो में वर्णित भूमि अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा है व धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में लम्बित है। उक्त भूमि को आराजीराज की होना नहीं माना जा सकता एवं अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही की जानी उचित नहीं मानी जा सकती है। मातहत अदालत ने अतिक्रमी मानकर बेदखली करने का आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी कारण से कानून सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

3. विवादित भूमि रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप के कब्जा काश्त में चली आ रहीं है तथा उक्त विवादिद भूमि खातेदारी भूमि को जरिये बैयनामा से खरीद की हुई थी, जो नियमानुसार उनकी खातेदारी भूमि है, इसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अतिक्रमी मानकर बेदखल कर खड़ी फसल को कुर्क कर कब्जा सरकार होने के आदेश पारित किये जो किसी प्रकार से कानूनी सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।
4. निर्णय से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों को ना तो निर्णय व पत्रावली में शामिल किया गया व ना ही उनका अवलोकन किया गया। पत्रावली में जवाब दस्तावेजों को शामिल किया जाना चाहिये था, सिर्फ प्रस्तुत दस्तावेजों को अपने पास रख लिया, जो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य हैं।
5. मातहत अदालत को इस प्रकार कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व स्टेट की तरफ से साक्ष्य ली लाकर एवं प्रकरण साबित होने पर ही निर्णय करना चाहिये था प्रस्तुत पत्रावली पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। अपीलान्ट/अप्रार्थी का स्वयं उपस्थित होना व जवाब दस्तावेज को शामिल ना कर मातहत अदालत का निर्णय विधि विरुद्ध होने की वजह से निरस्त योग्य है।
6. अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी सजा इस प्रकार का निर्णय हो कानूनन इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन मातहत अदालत ने ऐसा नहीं कर कानूनी की है इसलिए निर्णय निरस्त योग्य है।




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 11/2025 अनवान रामस्वरूप बनाम स्टेट

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर निर्णय दिनांक 07.03.2025 निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांत की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त के विरुद्ध तहसीलदार रावतसर द्वारा धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही की जानी उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बेदखली करने का आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी कारण से कानून सम्मत नहीं होने कारण अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर तहसीलदार रावतसर के निर्णय दिनांक 07.03.2025 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। तहसीलदार रावतसर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट "दिनांक 07.02.2025 पर चक चक 3-4 एन.डब्ल्यू.एम. में प0नं0 16/40(82) किला नं0 12 ता 19, 20/1 ता 21/1, 22 ता 25 की 3.492 है0 रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड सिवाय चक काबिल काश्त है। उक्त रकबा पर रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गन्धेली ने नाजायज रूप से सरसों व गेहूँ की फसल काश्त कर रखी है।" के आधार पर धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत कार्यवाही की गई, जो न्यायालय की मत में उचित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा दिनांक 07.03.2025 को पारित निर्णय में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः तहसीलदार रावतसर के निर्णय दिनांक 07.03.2025 को यथावत रखा जाता है एवं अपील अपीलांत खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया



(संजु पारीक आर.ए.ए.ए.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भोपाल (हनुमानगढ़)